Construction of Dams in Tamil Nadu

53. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct the Mullikkadu Vaniyar Dam and Koppairu Dam in Dharmapuri District by the Tamil Nadu Government; and

(b) if so, when it will be taken up?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a). No such schemes have so far been received from the Government of Tamil Nadu.

(b). Does not arise.

जल परिषद् का गठन

54. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या समूचे देश के जल संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और योजना के बारे में सरकार का विचार 'जल परिषद्' गठित करने का है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) . वस्तुत: इस समय राज्य सरकारों का अपने क्षेत्रों में बहने वाले पानी के आयोजन, विकास, नियमन, वितरण एवं नियंत्रण-कार्य पर पूर्ण नियंत्रण है। बहरहाल, अन्तर्राज्यीय नदियों द्वारा ही, जिनके बसिन एक राज्य से अधिक में पड़ते हैं, अधिकांश जल संसाधन उपलब्ध किये जाते हैं। कभी कभी इन अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के समुपयोजन, वितरण अथवा नियंत्रण के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो ही जाते हैं और इन को या तो सम्बंधित राज्यों द्वारा स्वयं ही अथवा केन्द्र की सहायता से बातचीत द्वारा हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिन विवादों को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता उनको अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट किया जा रहा है। बहरहाल, यह उत्तरोत्तर अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि केन्द्र को इस सम्बन्ध में विशेषकर अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के आवंटन और नियंत्रण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये तथा राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिये द्रुतगामी तरीके निकाल जाने जरूरी हैं। इसके लिये संसद् को विधान बनाना पड़गा। इन सभी मामलों का, जिसमें उचित संस्थागत प्रबन्ध करना और नया विधान बनाना भी शामिल है, सरकार द्वारा गम्भीरता से अध्ययन किया जा रहा है।

कारखानों में काम करने वाले बच्चों की दुर्दशा के बारे म अध्ययन

55. **श्री उग्रसेन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने हाल ही में दिल्ली के अनेक कारखानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 7 और 14 वर्ष की अल्प आयु के बच्चों की गुलामों सदृश दुख:द स्थिति का अध्ययन किया है और समाज कल्याण विभाग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) बाल कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान श्रम कानूनों का समुचित और दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिये अधिक सतर्कता बरतने के बारे में सरकार क्या नया कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसंधान अध्ययन प्रवर्तित करने की योजना के अन्तर्गत भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने दिल्ली के शहरी क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों का अध्ययन किया था ।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं ।

(ग) विधान को लागू करना एक क्रमिक प्रक्रिया है । फैक्ट्री निरीक्षणालय के क्षेत्र कर्मचारियों तथा दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अनुभाग को निदेश दिये गये हैं कि बच्चों के रोजगार और उनके कार्य समय के बारे में फक्ट्री अधिनियम, 1948 और दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के उपबन्धों का सख्ती से पालन किया जाये ।

विवरण

दिल्ली के शहरी क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों से सम्बद्ध रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) अध्ययन में 5 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया । यह पूछताछ, सात व्यावसायिक सर्वेक्षणों और दस काम करने वाले बच्चों के अध्ययन पर आधारित है ।

(2) यद्यपि निरपेक्ष रूप से 1971 में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत 1961 की अपेक्षा 40.5 प्रतिशत बढ़ा परन्तु 14 वर्ष तक के कुल बच्चों में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत लगभग वही अर्थात् 1.1 प्रतिशत रहा ; लड़कियों के मामले में कुछ कमी हुई । काम करने वाले कुल व्यक्तियों में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत 1961 में 1.4 से घटकर 1971 में 1.3 रह गया ।

(3) काम करने वाले बच्चे अनेक प्रकार के व्यवसायों मे लगे हैं । घरेलू कामों से लेकर बिक्री सहायक, फेरी वाले या छपाई, कम्पोजिंग, जिल्दसाजी, गाड़ियों की मरम्मत, इंजीनियरी के व्यवसाय आदि तक में काम करते हैं ।

(4) 60 प्रतिशत काम करने वाले बच्चों की आयु 13-14 वर्ष की थी । अन्य कम आयु के थे ।

(5) 57.4 प्रतिशत काम करने वाले बच्चे प्रतिष्ठानों में काम करते थे, 25 प्रतिशत बिना वेतन के पारिवारिक कर्मचारी की तरह घरों में काम करते थ तथा 17.6 प्रतिशत स्वयं अपना रोजगार करते थे या घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे ।

(6) प्रतिष्ठानों में, विशेष रूप से पुरानी दिल्ली में, कार्यस्थल का वातावरण बहुत घना और असंतोषजनक था । प्रतिष्ठानों में या स्वयं अपना रोजगार करने वाले बच्चों का कार्य-समय भिन्न-भिन्न था 16.3 प्रतिशत छः घन्टे से कम, 67.3 प्रतिशत 6 से 10 घन्टे तथा शेष अधिक समय तक प्रतिदिन काम करते थे । दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में विधान से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन ध्यान में लाया गया है ।

(7) काम करने वाले बच्चों की आय बहुत कम है । लगभग एक चौथाई बच्चों की आय 50 रूपये प्रति माह से कम हैं । अधिकतर बच्चों को निर्धारित दर से कम मजदूरी दी जाती है ।

(8) सात व्यावसायिक सर्वेक्षणों से पता चला कि चाय की दुकानों और ढाबे,

आट और साइकल मरम्मत की दुकानों, घरेलू कामों, फटे-पुराने कपड़े और अन्य बेकार वस्तुएं एकत्र करने तथा जूते पालिश करने के कामों में लगे बच्चों का कार्य-समय अधिक घन्टों का होता है, उनकी आय कम होती है, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधि-नियम के अधीन रजिस्टर्ड दुकानों आदि को छोड़कर अन्य जगह उनको कानूनी संरक्षण नहीं मिलता ; अधिकतर मामलों में कार्य स्थान पर असंतोषजनक वातावरण होता है ; आदि। कुछ बच्चे अंशकालिक काम करते हैं जैसे शाम को अखबार बेचना या घरों में दूध का वितरण करना। कुछ मामलों में इस आय से बच्चे को अपने शिक्षा के व्यय में मदद मिलती है।

(9) 39.7 प्रतिशत काम करने वाल बच्चे अशिक्षित हैं, 7.3 प्रतिशत शिक्षित हैं, परन्तु उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, और 53 प्रतिशत ने प्राइमरी स्तर तक या अधिक शिक्षा पाई है। व्यावसायिक अध्ययन से पता चला है कि फटे-पुराने कपड़े एकत्र करने वाले और चाय की दुकानों और ढाबों में काम करने वाल बच्चों की अपेक्षा आटो और साइकल मरम्मत करने वाली वर्कशापों में और घरेलू काम करने वाले बच्चे अधिक शिक्षा प्राप्त हैं।

(10) काम करने वाल बच्चों की काफी संख्या ऐसी है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। बच्चों को प्रशिक्षण के लिये अवसर प्रदान करने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करने के लिये एप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन करने और श्रम कानून को लागू करने के बारे में सुझाव दिये गए हैं।

जौ की नई किस्म

56. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अप्रैल, 1976 को 'नवभारत टाइम्स' में 'जौ की बौनी किस्म का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित यह समाचार सच है कि डी० एल० 70 जौ की एक हैक्टर में 50 क्विंटल पैदावार होती है और एच० डी० 2160 और एच० डी० 2122 गेहूं की एक एकड़ में सात टन पैदा-वार होती है ;

(ख) क्या ठीक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषि और सिंचाई मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अनेक पत्र लिखे गये परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ;

(ग) क्या इस का बीज प्राप्त करने के लिये भी लिखित में कई बार मांग की गई परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) उक्त समाचार में प्रकाशित उपज के आकड़े जौ की डी० एल० 70 किस्म की मोटे तौर पर उपज क्षमता दर्शाते हैं। विभिन्न जांचों में, इस किस्म ने अपनी उपज क्षमता 5 टन प्रति हैक्टर दिखाई, जबकि गेहूं की दो किस्मों-एच० डी० 2160 तथा एच डी० 2122 ने परीक्षण के खेतों में लगभग 6 टन प्रति हैक्टर तक उपज दी।

(ख) माननीय सदस्य के कुछ पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने इन किस्मों के बीजों को मांगा था माननीय सदस्य को 28 जून, 1976 तथा 28 अक्टूबर, 1976 को उत्तर भेजे गये थे।